पत्रांक–3/एम०–09/2021सा0प्र0 4162 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 25/3/ 2021

विषय– विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु नियुक्त उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का दायित्व/कर्त्तव्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रक्रिया एवं प्रावधानों का निर्धारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में किया गया है। उक्त नियमावली के नियम–17(5)(ग) में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने और नियम–17(11), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) एवं (22) में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के दायित्वों से संबंधित प्रावधान हैं।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–1893 दिनांक–14.06.2021, 17696 दिनांक–23.12.2014, 15548 दिनांक–06.12.2017, 6727 दिनांक–08.07.2020 एवं 1031 दिनांक–25.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन की प्रक्रिया के साथ–साथ उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के दायित्व/कर्त्तव्य से संबंधित अनुदेश परिचारित किया गया है।

3. इन स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद कतिपय मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा अपने दायित्व/कर्त्तव्य का निर्वहन नियमावली के प्रावधान के अनुरूप नहीं किया जा रहा है जिसके कारण विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नियमानुसार नहीं हो पा रहा है।

4. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु नियुक्त उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के स्तर पर निम्नांकित दायित्व/कर्त्तव्य का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है–

(i) उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में ऐसे सरकारी सेवक की नियुक्ति की जानी चाहिए जो अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से विषय को समुचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वांछित जानकारी रखते हों।

(ii) उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा आरोप से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं साक्ष्य प्राप्त कर संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उनका कार्य अभियोजन पक्ष को प्रस्तुत करने का होता है।

(iii) उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के समर्थन में अनुशासनिक प्राधिकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने, आरोप सिद्ध करने हेतु साक्षियों एवं साक्ष्य को संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

(iv) अभियोजन/आरोपित सरकारी सेवक के साक्षियों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण/ पुनर्परीक्षण करने का दायित्व उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का होता है।

(v) आरोपित सरकारी सेवक के अनुरोध पर अथवा संचालन पदाधिकारी के निर्णय के अलोक में मामले से संबंधित साक्ष्य अभिलेख उस प्राधिकार से प्राप्त कर, जिसकी अभिरक्षा में वे साक्ष्य अभिलेख हों, विभागीय कार्यवाही में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की होती है।

(vi) आरोपित सरकारी सेवक द्वारा समर्पित किसी लिखित अभिकथन पर अभियोजन की तरफ से पक्ष प्रस्तुत करने की जबावदेही उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की होती है।

(vii) विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा अपना अभिमत/मंतव्य दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

5. अतः अनुरोध है कि विभाग/कार्यालय के अन्तर्गत संचालित विभागीय कार्यवाहियों की नियमित समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त कंडिका–4 में उल्लिखित दायित्वों/कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है अथवा नहीं। साथ ही अपने अधीनस्थों को उपर्युक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए उक्त प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

25/3/21.

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।